न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 208 / 2024
अनवान : –

1. महावीर पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालूराम पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. भूप सिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धर्मा पत्नी कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है तथा कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 है जो कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के [illegible] दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97, रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109, मृत्यु प्रमाण पत्र कुरड़ाराम, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीया स0 1 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि कुरडाराम पुत्र रेवन्ताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वादी के पिता कुरड़ाराम पुत्र रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है। वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा कुरड़ाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226／34 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 7.6630 है0 भूमि में से 1／3 हिस्सा, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105／97 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.4670 है0 भूमि में से 1／6 हिस्सा उक्त दोनों खातों में कुरड़ाराम पुत्र रेवन्ताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के तथा रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112／109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0340 है0 भूमि में से 1／3 हिस्सा भूमि में कुरडाराम पुत्र रेवन्ता का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 1 को खातेदार काश्कतकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 208/2024

अनवान : –

1. महावीर पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कालूराम पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. भूप सिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धर्मा पत्नी कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 208 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 226/34 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 7.6630 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा, रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 105/97 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.4670 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा उक्त दोनों खातों में कुरड़ाराम पुत्र रेवन्ताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के तथा रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 112/109 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0340 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में कुरडाराम पुत्र रेवन्ता का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 1 को खातेदार काश्कतकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:41 IST
Reason: SelfAttested